

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

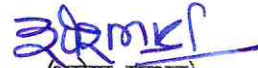
क्रमांक:- एफ.2 (क) (H-238) अलेसे-1/1499-1506 दिनांक:- 09/11/2023

आदेश

विभागीय आदेश संख्या 103/2022-23 दिनांक 09.12.2022 (क्रम संख्या 05) के द्वारा श्री हेमचन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गए थे, परन्तु तत्समय श्री शर्मा के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 में जांच विचाराधीन होने के कारण इन्हें "जांच बकाया नहीं" होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 1231-1234 दिनांक 03.11.2023 के द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण श्री शर्मा को आरोप मुक्त करते हुए प्रकरण एतद् द्वारा समाप्त कर दिया गया।

अतः वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री हेमचन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, श्रेणी-सी, दौसा के विरुद्ध आदिनांक से :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (H-238) अलेसे-1/1499-1506 दिनांक:- 09/11/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, दौसा।
3. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, श्रेणी-सी, दौसा।
4. श्री हेमचन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, श्रेणी-सी, दौसा।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)